

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 816/2026

Anup Ray Son Of Tapan Ray

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Indrapal Jhakar

For Respondent(s) : Mr. Tapeshe Agarwal, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SANGEETA SHARMA

Order

17/04/2026

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी तिथि पर प्रकरण की केस डायरी तलब कर प्रस्तुत करें साथ ही प्रकरण में जमानत याचिका प्रस्तुत होने की सूचना पीडित/परिवादी पक्ष को जरिये संबंधित थानाधिकारी प्रदान करें।

निवेदनानुसार, प्रकरण एक सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध हो।

(SANGEETA SHARMA),J